संख्या /XII/2011/86(10)/2005 टी0सी0–II

प्रेषक,

एन0एस0 नेगी,,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,
निदेशक,
निदेशालय, पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्राविधानित विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि की धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–584/XII/2011/86(10)/2005 टी0सी0–II दिनांक 25.08 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक मे प्राविधानित विकास खण्डों में विकास कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित ₹ 28,50,00,000 (₹ अठ्ठाईस करोड पचास लाख मात्र) के सापेक्ष क्रमशः एस0सी0एस0पी0 हेतु ₹ 5,41,50,000.00 (₹ पॉच करोड इकतालीस लाख पचास हजार मात्र), टी0एस0पी0 हेतु ₹ 1,14,00,000.00 (₹ एक करोड चौदहा लाख मात्र) तथा सामान्य अंश हेतु ₹ 17,33,00,000.00 (₹ सत्रह करोड तेतीस लाख मात्र) अर्थात् ₹ 23,88,50,000.00 (₹ तेईस करोड अठ्ठासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त के क्रम में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त धनराशि के आधार पर सामान्य अंश की अवशेष ₹ 4,61,50,000.00 (₹ चार करोड इकसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अन्तिम किस्त के रूप में उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0–584/XII/2011/86(10)/2005 टी0सी0–II दिनांक 25.08.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर व्यय हेतु रखे जाने कि इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 80 प्रतिशत धनराशि का व्यय/उपयोग हो जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय के अनुदान सं0–19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–00–101 पंचायतीराज–07 विकास खण्डों में विकास कार्यों हेतु क्षेत्र निधि–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–294(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 8 दिसम्बर 2011 द्वारा प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(एन0एस0 नेगी)
सचिव ।

संख्या 2066(1)/XII/10/86(10)/2005टी.सी–।। तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2.आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल।
3 समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
5 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड देहरादून । NIC
7. समस्त खंड विकास अधिकारी,उत्तराखण्ड/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9.निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
10..वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन ।
11.बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन,सचिवालय देहरादून/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव।

निदेशक
22/12/2011